Seventeenth Loksabha

an>

Title : Need to take appropriate measure to amend Cantonment Act to solve the problem of people residing in Cantonment Area.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, देश भर में छावनी क्षेत्रों में अंग्रेजी शासनकाल में छावनी अधिनियम 1924 के अंतर्गत लोगों को अपने मकान या दुकान के नक्शे पास कराने या उन पर अपना नाम जुड़वाने में कोई समस्या नहीं आती थी । यहाँ तक कि मूल मालिक की मृत्यु हो जाने पर उसके वंशजों के नाम अलग-अलग चढ़ा दिए जाते थे और सब्सिडियरी नम्बर दे दिए जाते थे । परन्तु दिनांक 23.03.1968 को सरकार द्वारा देश में छावनी क्षेत्रों की भूमि नीति जारी करके संपत्तियों के अलग सर्वे नंबर देने, नाम चढ़ाने, नक्शे पास करने तथा बेचने या गिरवी रखने की अनुमति देने पर रोक लगा दी गई और इस संबंध में छावनी बोर्डों के अधिकार समाप्त कर दिए गए । परिणामस्वरूप अपने बढ़ते हुए परिवार की आवश्यकता पूरी करने के लिए निर्माण की अनुमति मिलती नहीं है तथा कर्मचारियों से मिलीभगत करके लोग अवैध निर्माण कर लेते हैं । इसके कारण छावनी बोर्ड में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है ।

छावनी क्षेत्रों की भूमि नीति, जो अंतिम बार दिनांक 09.02.1995 में संशोधित हुई थी, वह संसद द्वारा पारित छावनी अनिधियम, 2006 का पूरी तरह से विरोधाभासी है । इसके साथ ही, आय के सुनिश्चित साधनों के अभाव में छावनी परिषद के अधिकारी छावनी क्षेत्र में मनमाने ढंग से टोल वसूलने की व्यवस्था लागू कर देते हैं, जिससे सामान्य नागरिकों का उत्पीड़न होता है । आज मेरठ के अन्दर 11 स्थानों पर टोल टैक्स के नाके लगा दिए गए हैं और उसके कारण पूरे मेरठ शहर में लोगों में नाराजगी है । इन विषयों के समाधान के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर माननीय रक्षा मंत्री जी ने पहल की तथा देश भर के छावनी परिषदों के उपाध्यक्षों तथा संबंधित सांसदों की एक बैठक दिल्ली में आयोजित की गई । व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात रक्षा

मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया तथा सभी माननीय सांसदों सहित सभी पक्षों से विचार-विमर्श किया गया ।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उक्त समिति की रिपोर्ट शीघ्र जारी की जाए, ताकि छावनी परिसरों में रहने वाले नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष:

डॉ. संजय जायसवाल को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री एम.के. राघवन - उपस्थित नहीं ।

श्री जगदम्बिका पाल - उपस्थित नहीं ।